रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22032022-234350
CG-DL-E-22032022-234350

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1191] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 21, 2022/फाल्गुन 30, 1943
No. 1191] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 21, 2022/PHALGUNA 30, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2022

का.आ. 1232(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इमसे इसके पष्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4593 (अ.) तारीख 15 दिसम्बर 2020, भारत के राजपत्र में तारीख 18 दिसम्बर 2020 को प्रकाषित की गई थी। इस अधिसूचना से संलग्न अनूसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उत्तर प्रदेश राज्य में कांडला – गोरखपुर एल0पी0जी0 पाइपलाईन परियोजना हेतु तहसील –डलमऊ, जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश राज्य में एल0पी0जी0 गैस के परिवहन हेतु आई0एच0बी0 प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आषय की घोषणा की थी, और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबंधित भू – स्वामियों को तारीख 09–03–2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पष्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइप लाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिष्चय किया है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए, और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए यह निर्देष देती है कि उक्त भूमि में उपयेाग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाषन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आई0एच0बी0 प्राइवेट लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन अधिनियम 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई0एच0बी0 प्राइवेट लिमिटेड उत्तरदायी होगा और पाइप लाइन से सम्बंधित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरूद्व कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नही हो सकेगी।

अनुसूची

जिला : रायबरेली		राज्य : उत्तर प्रदेश			
तहसील	गाँव	सर्वेनं	क्षेत्रफल		
			हेक्टेअर–आर–वर्ग मीटर		
1	2	3	4	5	6
डलमऊ	पिलखा	174	00	00	48
		175	00	05	42
		176	00	09	56
		228	00	01	46
		227	00	08	51
		224	00	00	20
		226	00	07	31
		233	00	00	20
		235	00	00	78
		234	00	03	95
		272	00	00	93
		275	00	01	56
		273	00	00	20
		274	00	06	40
		268	00	08	88
		266	00	00	20
		264	00	05	99
		263	00	03	47
		310	00	10	96
		148	00	01	89
		401	00	00	44
		400	00	01	33
		461	00	13	27
		460	00	00	63
		459	00	02	70
		432	00	00	20
		433	00	01	60

		434	00	09	57
		440	00	00	60
		437	00	08	20
		426	00	00	20
		438	00	00	59
		425	00	05	60
		674	00	01	55
		707	00	01	83
		733	00	13	47
		732	00	00	40
		731	00	00	59
		730	00	05	87
		729	00	01	37
		726	00	09	56
		745	00	00	20
		747	00	04	61
		725	00	06	51
		716	00	00	22
		724	00	00	33
		755	00	00	22
		770	00	05	39
		771	00	04	06
		772	00	00	57
		775	00	06	71
डलमऊ	मीर मीरानपुर	16	00	04	90
		17	00	00	20
		29	00	02	03
		28	00	03	36
		27	00	03	40
		24	00	10	88
		25	00	00	28
		54	00	00	51
		55	00	06	06
		67	00	03	86
		68	00	05	35
		69	00	04	77

70	00	04	66
71	00	05	22
89	00	01	09
100	00	00	32
98	00	11	49
132	00	00	32
93	00	00	39
136	00	07	86
147	00	05	53
148	00	06	33
149	00	02	40
144	00	08	79
150	00	00	55
151	00	00	42
153	00	07	61
161	00	00	47
162	00	09	18
239	00	04	63
520	00	00	52
521	00	04	28
522	00	00	39
523	00	00	52
543	00	05	59
544	00	08	04
545	00	03	78
546	00	00	58
549	00	02	83
550	00	03	30
537	00	07	92
554	00	00	37
536	00	01	92

[फ. स. आर-11025(15)/6/2020-ओआर-I/ई-33882]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2022

S.O. **1232(E).—**Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 4593 (E)) dated the 15 December 2020, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 18 December 2020 the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Kandla - Gorakhpur LPG pipeline for the transportation of LPG from Kandla in the state of Gujarat to Gorakhpur in the state of Uttar Pradesh - Tehsil :- Dalmau District- Raebareli in the state of Uttar Pradesh by I.H.B. Pvt. Ltd.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the concerned land owner by 09 – 03 - 2021.

And whereas Competent Authority I.H.B. Pvt. Ltd., has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in I.H.B. Pvt. Ltd., free from all encumbrances.

I.H. B. Pvt. Ltd. shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

District : Raebareli		State : Uttar Pradesh			
Tehsil	Village	Survey No.	Area Hect.-Are - Sq. mtr.		
1	2	3	4	5	6
DALMAU	PILAKHA	174	00	00	48
		175	00	05	42
		176	00	09	56
		228	00	01	46
		227	00	08	51
		224	00	00	20
		226	00	07	31
		233	00	00	20
		235	00	00	78
		234	00	03	95
		272	00	00	93
		275	00	01	56
		273	00	00	20

274	00	06	40
268	00	08	88
266	00	00	20
264	00	05	99
263	00	03	47
310	00	10	96
148	00	01	89
401	00	00	44
400	00	01	33
461	00	13	27
460	00	00	63
459	00	02	70
432	00	00	20
433	00	01	60
434	00	09	57
440	00	00	60
437	00	08	20
426	00	00	20
438	00	00	59
425	00	05	60
674	00	01	55
707	00	01	83
733	00	13	47
732	00	00	40
731	00	00	59
730	00	05	87
729	00	01	37
726	00	09	56
745	00	00	20
747	00	04	61
725	00	06	51
716	00	00	22
724	00	00	33
755	00	00	22
770	00	05	39
771	00	04	06

		772	00	00	57
		775	00	06	71
DALMAU	MIR MIRANPUR	16	00	04	90
		17	00	00	20
		29	00	02	03
		28	00	03	36
		27	00	03	40
		24	00	10	88
		25	00	00	28
		54	00	00	51
		55	00	06	06
		67	00	03	86
		68	00	05	35
		69	00	04	77
		70	00	04	66
		71	00	05	22
		89	00	01	09
		100	00	00	32
		98	00	11	49
		132	00	00	32
		93	00	00	39
		136	00	07	86
		147	00	05	53
		148	00	06	33
		149	00	02	40
		144	00	08	79
		150	00	00	55
		151	00	00	42
		153	00	07	61
		161	00	00	47
		162	00	09	18
		239	00	04	63
		520	00	00	52
		521	00	04	28
		522	00	00	39

523	00	00	52
543	00	05	59
544	00	08	04
545	00	03	78
546	00	00	58
549	00	02	83
550	00	03	30
537	00	07	92
554	00	00	37
536	00	01	92

[F. No. R-11025(15)/6/2020-OR-I/E-33882]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM

Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.03.22 15:20:25 +05'30'